प्रेस नोट
दिनांक– 18.09.2026

थाना कौड़िया पुलिस द्वारा दहेज हत्याभियुक्त को किया गया गिरफ्तार–

घटना का संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 15.09.2026 को वादी राहुल विश्वकर्मा पुत्र राजेश विश्वकर्मा निवासी ग्राम खैरम ललौवा चक, थाना कौड़िया, जनपद गोण्डा द्वारा थाना कौड़िया पर तहरीर दी गयी कि उनकी बहन ललिता देवी की शादी करीब 05 वर्ष पूर्व पंकज कुमार शर्मा पुत्र रामचन्द्र शर्मा निवासी ग्राम बखरिया झाला, थाना कौड़िया, जनपद गोण्डा के साथ हुई थी। तहरीर के अनुसार शादी के बाद से ही दहेज में मोटरसाइकिल एवं सोने की चैन की मांग को लेकर उसकी बहन को उसके पति पंकज कुमार शर्मा, ससुर रामचन्द्र, ननद कुसमा देवी, एक अन्य ननद एवं चाची द्वारा प्रताड़ित एवं मारपीट की जाती थी तथा दहेज की मांग पूरी न होने पर जान से मारने की धमकी दी जाती थी। दिनांक 14.09.2026 को ललिता देवी की मृत्यु हो गयी तथा शव घर में लटका हुआ मिला। उक्त तहरीर के आधार पर थाना कौड़िया पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही–

थाना कौड़िया पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त की विवेचना के दौरान नामित अभियुक्तों की पतारसी–सुरागरसी की जा रही थी। इसी दौरान मुखबिर खास की सूचना प्राप्त हुई कि मुकदमा उपरोक्त में नामित अभियुक्त पंकज कुमार शर्मा रामापुर पुल के पास से कहीं भागने की फिराक में है। सूचना पर पुलिस टीम द्वारा रामापुर पुल के पास घेराबंदी कर अभियुक्त पंकज कुमार शर्मा को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना कौडिया पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त–

01. पंकज कुमार शर्मा पुत्र रामचन्द्र शर्मा'' निवासी ग्राम बखरिया, थाना कौड़िया, जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0 203/2026, धारा 85, 108 बीएनएस व 3/4 डी.पी. एक्ट, थाना कौड़िया, जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम–

1. उ0नि0 अमरजीत सोनकर
2. का0 महेन्द्र पाण्डेय
3. का0 नीलेश कुमार

मीडिया सेल, गोण्डा।